भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

NGP.DOR.RSG.No.S–84/12.02.415/2026-27 07 जुलाई 2026

गोपनीय

ईमेल / स्पीड पोस्ट द्वारा
The Director,
Ranjit Securities Ltd.,
317-318, Transport Nagar, Scheme No. 44,
Indore – 14 (M.P.)

महोदया / महोदय,

प्रस्तावित नाम परिवर्तन हेतु अनापत्ति अनुरोध
Request for No-objection for proposed change of name

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने दिनांक 16 जून 2026 के प्रवाह आवेदन संख्या PRV.CO.DOR.2026-2027.P567 का संदर्भ लें। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को आपकी कंपनी के नाम को 'रंजीत सिक्युरिटीज लिमिटेड' से बदलकर 'रंजीत फाइनेंस लिमिटेड' करने के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।	Please refer to your PRAVAAH application no. PRV.CO.DOR.2026-2027.P567 dated June 16, 2026 on the captioned subject. In this regard it is advised that RBI does not have any objection on the proposal of your company for change of name from 'Ranjit Securities Limited' to 'Ranjit Finance Limited'.
2. इसके अतिरिक्त आपको आगे सूचित किया जाता है कि नाम परिवर्तन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से प्राप्त अनुमोदन की प्रमाणित प्रति के साथ PRAVAAH पोर्टल पर आवेदन करें जिस से कंपनी को नए नाम से CoR जारी किया जा सके। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नाम परिवर्तन	2. You are further advised to apply in PRAVAAH portal for issuance of CoR in the new name of the company along with a certified copy of the approval received from the Registrar of Companies for change of name. It may be noted that grant of fresh CoR after name change

विनियमन विभाग, अतिरिक्त कार्यालय भवन, पूर्व हायकोर्ट मार्ग, नागपुर- 440 001
Department of Regulation, Additional Office Building, East High Court Road,
Nagpur - 440 001
Phone: 0712-2806869/879, E-mail : dornagpur@rbi.org.in,
हिंदी में काम करना आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

Caution: RBI never sends mails, SMS or makes calls asking for personal information like bank account details, Passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

के बाद नया CoR प्रदान करना सामान्य समुचित सावधानी प्रक्रिया के अधीन होगा।	will be subject to the usual due diligence process.
3. यह अनुमोदन इस पत्र की तिथि से केवल छः माह तक वैध है। यदि कंपनी इस समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को लागू करने में विफल रहती है, तो उसे पहले अवसर पर परिवर्तन लागू करने में विफल रहने के कारणों के साथ फिर से आवेदन करना होगा।	3. This approval is valid only for six months from the date of this letter. In case, the company fails to give effect to the proposal within this time frame, it will have to apply again with reasons for having failed to effect the change on the earlier occasion.

भवदीया,

ज्योती परब

(ज्योती परब)
सहायक महाप्रबंधक